न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 122/2020

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पोकरराम पुत्र अन्नाराम जाति जाट निवासी सारण नगर, तहसील ओसियां जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसियां

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या पर आदेश कमांक/सम/कोर्ट/2018/107–108 उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 01–07–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रास्तो की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्ता अभियान के अन्तर्गत ऐसे रास्ते जो सार्वजनिक रूप से मौके पर चालू है परंतु ऐसे रास्तो का राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नही है, के कम मे ग्राम सारणनगर पटवार मण्डल सामराऊ के विभिन्न खसरा नंबरान मे चल रहे सार्वजनिक रास्तो का मौके पर सर्वे करवाकर राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ते के रूप मे इन्द्राज करवाने बाबत विविधत प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष तहसीलदार ओसियां की ओर से प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश कमांक सम/कोर्ट/2018/ 107–108 दिनांक 25–6–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाकर तहसीलदार ओसियां को आदेशित किया कि प्रस्ताव अनुसार मौके पर रास्ता चालू होने की स्थिति मे राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी एवं नक्शे) मे नियमानुसार अंकन किया जावें । निजी खातेदारो की भूमि से स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी म ही रहेगा परंतु जमाबंदी व नक्शे मे पृथक से खसरा नंबर दिया जायेगा और भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज की जावें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 25–6–2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे पटवार मण्डल सामराऊ के राजस्व ग्राम सारण नगर के प्रस्ताव संख्या 1 नाथडाऊ सरहद से सारण नगर होते हुए जाखडो की ढाणी तक रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किये है जिसमे अपीलांट की भूमि

अति. सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

खसरा नंबर 723 मे से रकबा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 715 मे से 01 बीघा 19 बिस्वा भूमि गै.मु.रास्ते मे दर्ज किये जाने के आदेश अपीलांट को नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सीधे राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए तथा अपीलांट की सहमति के बिना अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे से गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज कर दिया, जो विधि अनुकुल नही हौने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट की ओर से एक राजस्व मूल वाद उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे उपरोक्त खसरान के संबंध मे स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश हो रखे है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिस कारण उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट नही किया जा सका इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–6–2018 निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर चलाये गये अभियानो मे जारी किये गये दिशा निर्देशो जिनमे ऐसे कदीमी रास्ते जो वर्षो से रास्ते के रूप मे सार्वजनिक उपयोग मे लिये जा रहे है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे अंकन नही है उनका सर्वे करवाकर ऐसे रास्तो का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने के क्रम मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ओसियां की ओर से पटवार मण्डल सामराऊ के राजस्व ग्राम सारण नगर के प्रस्ताव संख्या 1 जिसमे नाथडाऊ सरहद से सारणनगर होते हुए जाखडो की ढाणीं तक रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव जिनमे विभिन्न खातेदारो के खातेदारी मे से प्रस्तावित रास्ते के रकबे का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुए प्रस्ताव अनुसार जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–6–2017 को पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील का खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश क्रमांक सम/कोर्ट/2018/

दस्तावेजो का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–6–2018 के विरूद्ध अपीलांटगण ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान अपील दिनांक 14–9–2020 को जो लगभग 2 वर्ष 3 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है । अपील विलंब से प्रस्तुत करने के कारण अपीलांट द्वारा जमाबन्दी की नकल लेने पर रकबा कम होना पाया गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा नामांतरकरण की नकल दिनांक 4–9–2020 को प्राप्त की, जिसमे आलौच्य आदेश का हवाला दिया हुआ था जिसकी नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 9–9–2020 को नकल तैयार होकर प्राप्त हुई, जिसे पढने पर प्रथम बार आलौच्य आदेश की जानकारी होना धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे प्रतिवेदित किया है, जो मात्र काल्पनिक कारण है इसलिए अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही माना जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तहसीलदार ओसियां की ओर से पटवार मण्डल सामराऊ के राजस्व ग्राम सारण नगर के प्रस्ताव संख्या 1 जिसमे नाथडाऊ सरहद से सारणनगर होते हुए जाखडो की ढाणी तक रास्ता दर्ज करने के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमे प्रत्येक खसरा नंबरान की भूमि मे से मौके पर रास्ता चल रहा होना तथा मौके पर ग्रेवल डाला हुआ प्रतिवेदित किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के तहत अपीलाधीन आदेश क्रमांक सम/कोर्ट/2018/ 107–108 दिनांक 25–6–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित भूमि गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये ... ओसियां को आदेशित किया कि प्रस्ताव अनुसार मौके पर रास्ता चालू

प्रति• राजस्व मंडल ... जोधपुर

उक्त आदेश मे यह भी उल्लेखित किया है कि निजी खातेदारो की भूमि से स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी मे ही रहेगा परंतु जमाबंदी व नक्शे मे पृथक से खसरा नंबर दिया जायेगा और भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है, जो न्यायसंगत एवं व्यापक जनहित मे पारित किया जाना प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 01–07–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर